

[श्री राकेश सिन्हा]

'जय अनुसंधान' की बात की है, उस संबंध में मेरा प्रश्न भी है और सलाह भी है कि क्या केंद्रीय विद्यालयों के ज़ोनल क्षेत्र में पांच-पांच केंद्रीय विद्यालयों का एक क्लस्टर बनाकर उनके अनुसंधान का एक कॉमन क्षेत्र तैयार किया जा सकता है, जिनमें प्रतिभाशाली छात्रों और शिक्षकों का आदान-प्रदान हो और अनुसंधान को बढ़ाया जाए?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रेरणा से जो नई शिक्षा नीति आ रही है और उस नई शिक्षा नीति में लगातार जो सुझाव आ रहे हैं और 10 विशेषज्ञों की कमेटी ने भी उसमें लगातार दो-तीन साल तक अध्ययन किया है, उसमें हम सब इसको समाहित कर रहे हैं कि जो स्कूली शिक्षा है और उच्च शिक्षा है, उसमें विज्ञान, सामाजिक और तमाम प्रकार के विषयों को किस सीमा तक और किस स्तर पर समाहित किया जाएगा।

Progress of POSHAN Abhiyaan

141. SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA: Will the Minister of WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government has any plan to hold a Conference of Ministers of Women and Child Development of all State Governments to deliberate on solutions related to malnutrition among women and children and to find out the progress of POSHAN Abhiyaan;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) if not, the steps being taken to ensure that women and children are not malnourished in the country?

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The National Council on India's Nutritional Challenges under the Chairmanship of Vice-Chairman, NITI Aayog and the Executive Committee headed by Secretary, Ministry of Women and Child Development (MWCD), hold meetings periodically to review status of progress of POSHAN Abhiyaan.

National Council on India's Nutritional Challenges (NCINC) headed by Vice-Chairman, NITI Aayog consist of Ministers of line Ministries of Government of India, Chief Ministers of five States (on rotation basis), Secretaries of line Ministries, District Collectors/District Magistrates (DC/DMs) of 10 districts with highest prevalence of child stunting. NCINC has been set up to provide policy directions to address India's

nutritional challenges through coordinated inter-sectoral action and review programmes for nutrition on a quarterly basis. As on date, four meetings of the aforesaid Council have been held in which a number of issues relating to malnutrition were discussed.

Executive Committee headed by Secretary, MWCD consists of representatives of line Ministries, Chief Secretaries of five States (by rotation), Chief Secretaries of five States/UTs having high burden of malnutrition, DC/DMs from 10 districts with highest prevalence of child stunting, etc. Executive Committee is the Apex body for nutrition related activities for children and women providing direction, policy and guidelines for implementation of various programmes/schemes under the POSHAN Abhiyaan. As on date, seven meetings of the Executive Committee have been held. In these meetings the progress on implementation of POSHAN Abhiyaan is also discussed and reviewed. There is no immediate proposal to hold a Conference of Ministers of Women and Child Development of all State Governments to deliberate on solutions related to malnutrition among women and children.

(c) Ministry of Women and Child Development, Government of India is implementing following schemes to address the issue of malnutrition:—

- (i) Government has set up POSHAN Abhiyaan on 18.12.2017 for a three year time frame commencing from 2017-18 with an overall budget of ₹ 9046 crore. To ensure a holistic approach, all 36 States/UTs and districts have been covered. The goals of POSHAN Abhiyaan are to achieve improvement in nutritional status of Children from 0-6 years, Adolescent Girls, Pregnant Women and Lactating Mothers in a time bound manner during the three years with fixed targets as under:—

Sl. No.	Objective	Target
1.	Prevent and reduce stunting in children (0- 6 years)	By 6% @ 2% p.a.
2.	Prevent and reduce under-nutrition (under weight prevalence) in children (0-6 years)	By 6% @ 2% p.a.
3.	Reduce the prevalence of anemia among young children (6-59 months)	By 9% @ 3% p.a.
4.	Reduce the prevalence of anemia among women and adolescent girls in the age group of 15-49 years.	By 9% @ 3% p.a.
5.	Reduce Low Birth Weight (LBW).	By 6% @ 2% p.a.

The Abhiyaan aims to reduce malnutrition in the country in a phased manner, through a life cycle approach, by adopting a synergized and result oriented approach. The Abhiyaan will ensure mechanisms for timely service delivery and a robust monitoring as well as intervention infrastructure. Target is to bring down stunting of the children in the age group of 0-6 years from 38.4% to 25% by the year 2022. The major works undertaken under this Abhiyaan are ensuring convergence with various other programmes; Information Technology enabled Common Application Software for strengthening service delivery and interventions; Community Mobilization and Awareness Advocacy leading to Jan Andolan- to educate the people on nutritional aspects; Capacity Building of Frontline Functionaries, incentivizing States/UTs for achieving goals etc.

- (ii) Anganwadi Services, which aims to improve the nutritional and health status of children in the age-group 0-6 years, pregnant women and lactating mothers and reduce the incidence of mortality, morbidity and malnutrition. Under the scheme, a package of six services is provided through a network of Anganwadi Centers, which include supplementary nutrition, pre-school non-formal education, nutrition and health education, immunization, health check-up and referral services.
- (iii) Scheme for adolescent girls is implemented for out-of-school adolescent girls in the age group of 11-14 years for self-development and empowerment of adolescent girls; improvement of nutritional and health status; to promote awareness about health, hygiene and nutrition; support out of school adolescent girls to successfully transition back to formal schooling or bridge learning/skill training; upgrade their home-based skills and life skills.
- (iv) Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, which is a Centrally sponsored conditional Maternity Benefit scheme of the Ministry for pregnant and lactating women. Under the scheme, cash incentives are provided partly compensating for their wage loss subject to fulfilment of health and nutrition conditions.

श्री सुशील कुमार गुप्ता: सभापति महोदय, भारत सरकार ने 2017 में 'पोषण अभियान' स्कीम को घोषित किया था। उसमें 0 से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चों के कुपोषण को 2022 तक 38.4 प्रतिशत

से घटाकर 25 प्रतिशत करने का संकल्प लिया था, लेकिन यह देखा जा रहा है कि आज भी 5 साल तक के बच्चों में लगभग 36 परसेंट बच्चे कुपोषित हैं।

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

श्री सुशील कुमार गुप्ता: मेरा आपके माध्यम से सरकार से सवाल है कि क्या सरकार 2022 तक इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगी और उसके लिए सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है?

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि जब बात nutrition और पोषण की आती है तो वह मात्र खाद्य पदार्थ तक सीमित नहीं रहती। कुपोषण को एक समाधान की तरफ ले जाने के लिए sanitation, drinking water - इन सारी चीजों पर भी हम लोग भारत सरकार की ओर से ध्यान देते हैं। 'पोषण अभियान' के संबंध में प्रधान मंत्री जी का निर्देश और आग्रह यह रहा है कि वह एक जन-अभियान बने। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को बताना चाहती हूँ कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, क्योंकि जनआन्दोलन की दृष्टि से सितम्बर, 2018 में मैं जब 'पोषण माह' का आयोजन किया गया, तब हमारे देश के लगभग 25 करोड़ नागरिकों ने उसमें भाग लिया और जब 8 मार्च से 22 मार्च तक देश में "पोषण पखवाड़ा" मनाया गया, तो उसमें हमने वृद्धि देखी और जनआन्दोलन में 44 crore 80 lakh people took part, Sir, wherein we conducted close to 82 lakh activities across the country.

श्री सुशील कुमार गुप्ता: महोदय, 2018-19 तक राजधानी दिल्ली में 11 में से 4 जिले 'पोषण अभियान' के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए, इसका क्या कारण है और कब तक ये जिले उसमें शामिल किए जाएंगे?

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद से कहना चाहूंगी कि यह अभियान हम लोग प्रत्येक राज्य और प्रत्येक जिले में चलाते हैं। प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय करके जिन जिलों या जिन ब्लॉक्स में हम लोगों को कुपोषण के विशेष कार्यक्रम करने होते हैं, वे हम करते हैं - मात्र हमारी National Council के माध्यम से नहीं, मात्र Executive Committee के माध्यम से नहीं - मैं माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि हरियाणा प्रदेश में विशेष रूप से मैंने स्वयं ने 9 जून को माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ बैठक ली। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य के माननीय मुख्य मंत्रियों से मैं विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि वे पोषण अभियान को और मज़बूती दें। सभापति महोदय, आज आपके माध्यम से हमारे पश्चिम बंगाल और ओडिशा से जो सम्मानित सांसद हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूंगी कि अब तक पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इसकी activities शुरू नहीं हो पायी हैं, इसलिए कृपया सांसद भी इसमें अपना समर्थन दें, ताकि हम इन दो राज्यों में भी activities शुरू कर सकें।

श्रीमती कहकशां परवीन: बहुत-बहुत शुक्रिया सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से यह कहना चाहती हूँ कि कम उम्र में शादी और उसके बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं, वह भी कुपोषण की बहुत बड़ी वजह है। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहती हूँ कि आप जन-अभियान

[श्रीमती कहकशां परवीन]

की बात कर रही हैं, तो कम उम्र में शादी की रोकथाम के लिए - क्योंकि कम उम्र में शादी कानूनन अपराध है, यह सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इस तरह की बातें हो रही हैं - तो इस जनआंदोलन को आप कैसे चलाएंगी?

† **محترمہ کہکشاں پروین (بہار):** بہت بہت شکری سبھا پٹی مہودے، می مائے منتری مہودی سے ے کہنا چاہتی ہوں کہ کم عمر می شادی اور اس کے بعد جو بچے جنم لے رہی، وہ بھی کیوشن کی بہت بڑی وجہ ہے۔ می مائے منتری مہودی سے ے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ جن-ابھٹن کی بات کر رہی ہیں، تو کم عمر می شادی کی روک تھام کے لئے - کئی کم عمر می شادی قانونا جرم ہے، ے سبھی کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی کئی نہ کئی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں - تو اس جن-آندولن کو آپ کسے چلائی گئے؟

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूँ कि कुपोषण की दृष्टि से adolescent girls के संदर्भ में भी हम विशेष कार्यक्रम चलाते हैं। यह सत्य है कि कम उम्र में शादी करना कानूनन जुर्म है और हम बार-बार young child brides की दृष्टि से और adolescent boys की दृष्टि से भी NCPCR के माध्यम से राज्य की सरकारों को, agencies को और law and order के जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उन्हें अवगत कराते रहते हैं। इसके अतिरिक्त awareness programmes भी specific community, जहां पर child marriage देखी जाती है, वहां पर विशेष रूप से करते हैं। जो हेल्थ से संबंधित मंत्रालय हैं, उनके माध्यम से भी इन सारे मुद्दों पर प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाता है।

श्री सभापति: श्रीमती सम्पतिया उड़के। चूंकि यह महिलाओं से संबंधित विषय है इसलिए मैं महिलाओं को प्राथमिकता दे रहा हूँ। पुरुष ज्यादा slips भेज रहे हैं। आपकी सहानुभूति मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उन्हें अपनी अनुभूति व्यक्त करने का मौका दीजिए।

श्रीमती संपतिया उड़के: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, कुपोषण से संबंधित समस्याओं हेतु सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहती हूँ कि आदिवासी क्षेत्रों, विशेष रूप से आदिवासियों की संकटग्रस्त प्रजातियों की महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए कौन से विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?

श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्या को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहती हूँ कि देश में जो 10 सबसे ज्यादा कुपोषित जिले हैं, उन्हें विशेष रूप से National Council और Executive Committee में आमंत्रित किया जाता है। दो दिन पहले ही सेक्रेटरी, महिला बाल विकास ने, स्वयं आदिवासी क्षेत्रों के साथ-साथ, देश भर की सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ और जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास किया है, ताकि विशेष स्थानों पर पोषण अभियान को लेकर क्या चीजें दुरुस्त हो सकती हैं, उसके संदर्भ में चर्चा की गई है। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सदन को यह भी अवगत

कराना चाहती हूँ कि साल 2017 में भारत सरकार विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से fortified आटा और fortified milk और oil के procurement के संदर्भ में बार-बार प्रदेश सरकारों को निवेदन और एडवाइज़री भेजती रही है। हमारी फूड सप्लाय मिनिस्ट्री rice fortification को लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट भी कर रही है। भारत सरकार प्रदेशों की सरकार के माध्यम से जो मिड-डे मील जैसे कार्यक्रम चलते हैं, उनके माध्यम से विशेष टारगेटेड, जहां पर malnourishment के केसेज़ आते हैं, वहां पर हम लोग काम करते हैं और हमारा Nutrition Resource Centre हर राज्य में उपलब्ध रहता है। जहां-जहां malnourished बच्चों और माताओं को पाया जाता है, उन्हें Nutrition Resource Centre में भी लाया जाता है, ताकि वहां उनकी विशेष देखभाल की जाए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदया ने अभी अवगत कराया है कि lactating mothers के लिए, stunted children के लिए, adolescent girls के लिए और malnourished महिलाओं व पुरुषों के लिए स्कीमें चलाई जा रही हैं और उनको मॉनीटर भी किया जा रहा है। सर, जो Global Hunger Index है, उसमें भी यह बताया गया है कि हमारे यहां भुखमरी बढ़ रही है और आज की तारीख में world में हमारा 103वां रैंक है। मेडम, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आपके आज जो ऑब्जेक्टिव हैं, इसके लिए आप मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि जो पंचायती राज है, जो लोकल बॉडीज़ हैं, क्या उनके मेम्बर्स की स्पेशली कोई ट्रेनिंग करने का प्रोसीजर रखेंगे? वे जिले identify कर लिए गए हैं, जहां पर stunning भी बहुत है और इस तरह के malnutrition के केसेज़ ज्यादा आते हैं।

श्री सभापति: आपका सवाल क्या है?

श्री रवि प्रकाश वर्मा: मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी जगहों के एमपीज़ को वहां की मॉनिटरिंग के सिस्टम में इन्वॉल्व करने की मेहरबानी करेंगे?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद जी को अवगत कराना चाहती हूँ कि जब वे हंगर इंडेक्स की बात करते हैं, तो आप यह जानकर स्तब्ध होंगे कि अगर total nourishment की दृष्टि से देखें तो 6-24 महीनों के बच्चों में मात्र 9 प्रतिशत बच्चों को proper nourishment मिलता है। इसका मतलब यह है कि यह मात्र पैसे या खाद्य पदार्थ के संदर्भ में दिक्कत नहीं है। यह एक behavioural change और challenge का विषय है। आपके माध्यम से माननीय सांसद ने पंचायती राज के मेम्बरानों को ट्रेन करने के संबंध में प्रश्न किया है। मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ कि डॉ. विनोद पॉल, जो नीति आयोग में विशेषज्ञ हैं, जो विशेष रूप से इस विषय को देख रहे हैं और उनके साथ मैं जो एडवाइज़री श्री आलोक जी हैं, उन्होंने एक विशेष training module बनाया है, ताकि हम अपने पंचायती राज के ढांचे के माध्यम से भी ट्रेनिंग कर सकें। माननीय महोदय, मंत्रालय के माध्यम से 21 training modules जो State, districts और block level तक हमारी incremental learning के modules हैं, वे भी हम देते हैं।